JALAUN POLICE

दिनांक – 02.09.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली उरई एवं स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 29.08.2025 को कोतवाली उरई क्षेत्रान्तर्गत स्थित कालपी बस स्टैण्ड के पास दो पक्षो में मारपीट होने एवं अभियुक्तगण द्वारा 02 मोटर साइकिलों मे आग लगाने एवं दुकान की गोलक से रुपये लूटने इत्यादि घटना कारित करने वाले मुख्य अभियुक्त को लूट के रुपयों सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना के सम्बन्ध मे कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 516/25 धारा 74/115(2)/324(4)/309(4)/191(2)/351(2)/308(2) बीएनएस व 7 आपराधिक कानून संशोधन अधि0 पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश देते हुए 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

जिनमें से उक्त घटना में संलिप्त/प्रकाश में आये 1. शादाब खां पुत्र स्व0 गफ्फार खां 2. माजिद खान पुत्र स्व0 गफ्फार खान निवासी मु0 बजरिया कस्वा व थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन व अन्य अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। प्रभावी कार्यवाही करते हुये कुल 06 अभियुक्त 1. शादाब पुत्र गफ्फार खां 2. मकसूद बेग पुत्र मकबूल 3.आफताब उर्फ मुन्ना पुत्र धस्सू 4. मेराज पुत्र धस्सू 5. दिलशाद पुत्र अनवार 6. शादाब उर्फ नाती पुत्र इरफान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

दिनांक 02.09.2025 को कोतवाली उरई टीम एवं स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं सुरागरसी पतारसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले मुख्य आरोपी माजिद पुत्र गफ्फार उम्र करीब 40 वर्ष नि0 मुहल्ला गणेशगंज कोतवाली उरई जनपद जालौन को इगलासपुरा चौराहे से चुर्खी चौराहे की ओर जाने वाले रास्ते से लूट के रुपये सहित गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी है। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त माजिद द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.08.2025 को कालपी स्टैण्ड पर हुई घटना के दौरान मैंनें व मेरे भाई सादाब नें एक दुकान की गोलक से रुपये लूटे थे। जिनमें से मुझे जो रुपये मिले थे, उनमें से कुछ रुपये खर्च हो गए हैं व शेष रुपये जो मेरे पास बचे हैं, उसी दिन के हैं। साहब मैं बचकर कहीं जाने की फिराक में था कि आप लोगों ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम –

माजिद पुत्र गफ्फार उम्र करीब 40 वर्ष नि0 मुहल्ला गणेशगंज कोतवाली उरई जनपद जालौन

अभियुक्त माजिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 808/2016 धारा 13 जुआ अधि0 कोतवाली उरई जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0 69/2017 धारा 3/13 जुआ अधि0 कोतवाली उरई जनपद जालौन
3. मु0अ0सं0 1049/2018 धारा 323/504 भादवि कोतवाली उरई जनपद जालौन
4. मु0अ0सं0 141/2020 धारा 323/504/506 भादवि कोतवाली उरई जनपद जालौन
5. मु0अ0सं0 669/2021 धारा 354/504 भादवि कोतवाली उरई जनपद जालौन
6. मु0अ0सं0 1232/2007 धारा 145/147/452/323/504/506 भादवि कोतवाली उरई जनपद जालौन
7. मु0अ0सं0 516/2025 धारा 74/115(2)/324(4)/309(4)/191(2)/351(2)/308(2)/111 BNS व 7 CL एक्ट

बरामदगी-

1. दुकान की गोलक से लूटे गये 2540/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 कोतवाली उरई मय पुलिस टीम
2. स्वाट टीम जनपद जालौन।